सदस्य, पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गुना (म.प्र.)
(समक्ष :—ओ.पी.रघुवंशी)

Registration No	MACC / 42 / 2025
Filing No.	MACC / 224 / 2025
CNR No.	MP08010010112025
Filing Date	20.02.2025

01. सुनीता पत्नी स्व. सुनील बारेला, आयु 23 वर्ष,
02. कनिष्का पुत्री स्व. सुनील बारेला, आयु 01 वर्ष, अवयस्क आवेदक क्रमांक 1 की ओर से सरपरस्त मां सुनीता बारेला
03. फुंदा बाई पत्नी बबलू बारेला, आयु 43 वर्ष,
04. बबलू पुत्र लक्ष्मणसिंह बारेला, आयु 45 वर्ष, निवासीगण ग्राम खेतीखता, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) 473105

...................**आवेदकगण**

/ /विरूद्ध/ /

कैलाश बारेला पुत्र जुवानसिंह, आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम बगोनिया, थाना म्याना, जिला गुना (म.प्र.) 473105 (ट्रेक्टर स्वामी व चालक)

.......................**अनावेदक**

आवेदकगण द्वारा : श्री सुनील रघुवंशी, अधिवक्ता।
अनावेदक द्वारा : श्री नफीस अली अधिवक्ता।

—: अधिनिर्णय :—

(आज दिनांक **21.01.2026** को घोषित)

यह दावा आवेदकगण ने, मृतक सुनील की दुर्घटना में हुई मृत्यु से हुई क्षति के प्रतिकर के लिये धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत

राशि 88,00,000/–(अठासी लाख) रूपए, उस पर ब्याज, वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता, अनावेदक से दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. आवेदकगण के अभिवचन संक्षेप में यह है कि दुर्घटना दिनांक 14.12.2024 को मृतक सुनील मोटर साईकिल से अपने गांव से अपनी बुआ के गांव हथियावड़ जा रहा था, मृतक के साथ दूसरी मोटर साईकिल पर मृतक के पिता बबलू बारेला एवं राजकुमार बारेला ग्राम मारकीमहू में हाट कराने जा रहे थे, करीब दोपहर 1:30 बजे गुना–सिरसी रोड जालमपुर, स्कूल के पास मोड़ पर पहुंचा तभी तारापुर की ओर से एक हरे रंग का जोनडियर ट्रेक्टर एमपी 08 जेडबी 8892 का ड्राईवर अपने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक लहराते हुए चलाकर लाया और मृतक की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मृतक सुनील के सिर व सीने में गंभीर चोटें आई। मृतक सुनील चोट लगने से रोड पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध पुलिस थाना सिरसी में अपराध कमांक 82/2024 पंजीबद्ध हुआ।

3. यह भी कि दुर्घटना के समय मृतक एक स्वस्थ्य कुशल वर्कर मिस्त्री होकर ग्राम खेरीखता एवं आस–पास के गांव में भवन निर्माण का कार्य करता था, जिससे उसे लगभग 15,000/–रूपए प्रतिमाह आय प्राप्त होती थी, वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था जो अपनी आय से परिवार का पालन पोषण करता था, आवेदकगण मृतक पर आश्रित थे, मृतक की मृत्यु के समय आयु 19 वर्ष थी, भविष्य में मृतक की आय में बढोत्तरी होती। आवेदकगण, मृतक के साहचर्य से वंचित होना पड़ा, इसलिये सभी मदों को मिलाकर कुल राशि 88,00,000/–(अठासी लाख) रूपए उस पर ब्याज, वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता, अनावेदक से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब में आवेदक के अभिवचनों दुर्घटना के तथ्यों, मृतक की आयु, आय के तथ्यों को अस्वीकार किया गया है और अभिवचन किए गए हैं कि अनावेदक के वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई। अतः अनावेदक कोई क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्लेम याचिका प्रचलन योग्य नहीं है। अतः उसके विरूद्ध क्लेम आवेदन निरस्त

किए जाने का निवेदन किया है।

5. **विचारणीय बिन्दु यह है कि :–**

कमांक	**विचारणीय बिन्दु**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दिनांक 14.12.2024 को करीब 1:30 बजे गुना सिरसी रोड, ग्राम जालमपुर स्कूल के पास, मोड पर जोनडियर ट्रेक्टर एमपी 08 जेडबी 8892 के चालक अनावेदक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की ?	**''साबित''**
2.	क्या उक्त दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप सुनील की मृत्यु कारित हुई है ?	**'साबित'**
3.	क्या उक्त दुर्घटना के कारण आवेदकगण, अनावेदक से कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने के पात्र हैं? यदि हां तो कितनी ?	**''हॉ, अनावेदक से, अवार्ड अनुसार।**
4.	सहायता एवं व्यय ?	**अधिनिर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार अवार्ड पारित**

—:: निष्कर्ष एवं उनके आधार ::—

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 :

6. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण की ओर से साक्षियों के कथन एवं प्रस्तुत व प्रमाणित दस्तावेजों के द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि घटना दिनांक को उक्त दावाकृत वाहन के चालक अनावेदक ने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक सुनील की मोटर साईकिल में टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। अतः आवेदन अनुसार अनावेदक से प्रतिकर राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

7. मोटर दुर्घटना दावा में साक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने के संबंध में न्याय दृष्टांत **विमलादेवी व अन्य विरूद्ध हिमाचल रोड सड़क परिवहन निगम व अन्य (2009) 13 एस.सी.सी. 530** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आवेदक के लिए यह संभव नहीं होता कि कठोर साक्ष्य के द्वारा यह साबित कर सके कि दुर्घटना विनिर्दिष्ट रीति से हुई। आवेदक को, संभावनाओं की बाहुल्यता को छूने की सीमा मात्र तक अपना मामला स्थापित करना होता है। युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किए जाने के स्तर की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती।

8. न्याय दृष्टांत **एन.के.व्ही. ब्रदर्स (पी.) लिमिटेड विरूद्ध एम. करूमाई अम्मल व अन्य ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1354** भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि– दुर्घटना दावा अधिकरण को विशेष सावधानी के साथ देखना चाहिए कि निर्दोष पीड़ित परेशान न हो और वाहन चालक व मालिक केवल इस कारण से कि कुछ संदेह या अंधकार विद्यमान है, दायित्व से न बच सके। इसी परिप्रेक्ष्य में न्याय दृष्टांत **कुशुमलता व अन्य विरूद्ध सतवीर व अन्य 2011 (2) टी.ए.सी. 1 एस.सी.** भी अवलोकनीय है।

9. न्याय दृष्टांत **मनफूल विरूद्ध मेहमूद 2003 (4) एम.पी.एल.जे. 174 डी.बी. (एम.पी.)** भी अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ संदेह या अंधकार विद्यमान है, तो संदेह का लाभ पीड़ित को जाएगा। न्याय दृष्टांत **परमेश्वरी विरूद्ध अमरचंद व अन्य ए.आई.आर 2011 एस.सी. 1504** भी अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि– क्लेम प्रकरणों में यदि साक्षी ने परिवाद पेश न किया हो, तो केवल इसी आधार पर उसकी साक्ष्य संदेहास्पद नहीं हो जाती है। न्याय दृष्टांत **अनीता शर्मा व अन्य विरूद्ध न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य, (2021) 1 एस.सी.सी. 171** एवं न्याय दृष्टांत **गीता दुबे व अन्य विरूद्ध यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य 20224 आई एन एस सी 998** भी अवलोकनीय है जिसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय का अभिमत व्यक्त किया गया है कि मोटर

दुर्घटना दावे में दुर्घटना के तथ्य को संभावनाओं की बाहुल्यता को छूने की सीमा तक प्रमाणित करना होता है, यदि साक्षी प्रतिपरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरा है, तो उसके कथन पर निर्भर किया जा सकता है।

10. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यह स्थिति स्पष्ट है कि आवेदक को अपना दावा आपराधिक मामले के सिद्धांत युक्तियुक्त संदेह से परे अथवा सिविल प्रकृति के मामलों को प्रमाणित करने के सिद्धांत संभावनाओं की बाहुल्यता पर भी प्रमाणित नहीं करना होता, बल्कि इन मामलों में न्यायाधिकरण को उसके समक्ष के मामले में आई साक्ष्य का स्वतंत्र मूल्याकंन करते हुए केवल जांच करनी होती है कि क्या दुर्घटना के तथ्य सही है और आवेदक को अपना दावा मात्र संभावनाओं की बाहुल्यताओं को छूने की सीमा तक ही प्रमाणित करना होता है और सूक्ष्म तकनीकि त्रुटियों या विसंगतियों के कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत दावा या साक्ष्य को संदिग्ध नहीं माना जा सकता।

11. इस मामले में आवेदक बब्लू बारेला आ.सा.1 का अभिसाक्ष्य है कि मृतक सुनील उसका पुत्र था, दिनांक 14.12.2024 को वह राजकुमार के साथ उसकी मोटर साईकिल से मारकीमहू जा रहा था, उसके आगे–आगे उसका पुत्र सुनील दूसरी मोटर साईकिल से चलकर ग्राम हथियाबाड़ अपनी बुआ के यहां जा रहा था, दोपहर करीब डेढ बजे गुना–सिरसी रोड पर जालमपुर के मोड़ के पास पहुंचे, तो सामने से आ रहे ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 08 जेडबी 8892 का चालक अपने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके बेटे की मोटर साईकिल में सामने से टक्कर मार दी, ट्रेक्टर उसके बेटे के सिर पर चढ गया था और ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को लेकर जंगल तरफ तेजी से भाग गया था। मौके पर पुलिस आ गई थी और पूछताछ कर देहाती नालिसी दर्ज की थी। घटना स्थल से वह अपने पुत्र को सरकारी अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसके पुत्र को मृत घोषित कर दिया था।

12. साक्षी ने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जिनमें अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1, सूची दस्तावेज प्रदर्श पी 2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, देहाती नालिसी प्रदर्श पी 4, मर्ग प्रदर्श पी 5, सफीना फार्म प्रदर्श

पी 6, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 7, शव प्राप्ति रिपोर्ट प्रदर्श पी 8, शव परीक्षण आवेदन मय रिपोर्ट प्रदर्श पी 9, वाहन स्वामी को पुलिस द्वारा दिया गया धारा 133 एमव्ही एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 10, वाहन चालक के संबंध में दिया गया प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 11, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 12, प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 13, अनावेदक कैलाश को दिया गया सूचनापत्र प्रदर्श पी 14, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 को प्रमाणित किया है।

13. साक्षी राजकुमार बारेला आ.सा. 02 ने बब्लू आ.सा.2 के कथन के समान ही कथन किया है कि ट्रेक्टर चालक, ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और सुनील की मोटर साईकिल में सामने से टक्कर मारकर ट्राली चढ़ा दी, मौके पर देहाती नालिसी लिखी गई थी और सुनील को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए थे।

14. यद्यपि आवेदक साक्षी बब्लू आ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण के दौरान अनावेदक की ओर से यह सुझाव दिए गए हैं, कि साक्षी ने घटना नहीं देखी थी, लेकिन साक्षी अपने कथन पर पूर्णतः स्थिर रहा है और उसके कथन में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए है, जिससे उसके कथन पर घटना देखे जाने के तथ्य पर अविश्वास किया जा सके। साक्षी के कथन की पुष्टि राजकुमार आ.सा.2 के कथन से भी होती है और यह साक्षी भी ट्रेक्टर कमांक एमपी 08 जेडबी 8892 के चालक द्वारा ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर सुनील में टक्कर मारने की सीमा तक अपने कथन पर पूर्णतः स्थिर रहा है। दोनों साक्षियों के कथन की पुष्टि आवेदकगण की ओर से प्रमाणित किए गए आपराधिक मामले के दस्तावेज देहाती नालिसी प्रदर्श पी 4, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, अभियोगपत्र प्रदर्श पी 1 एवं अन्य प्रमाणित दस्तावेजों से होती है, जिनके अनुसार इस दुर्घटना के लिए अनावेदक के विरूद्ध उसके द्वारा उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में अभियोगपत्र प्रस्तुत हुआ है।

15. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है, आवेदकगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे उन पर अविश्वास किया जा सके। तब यह साबित है कि दुर्घटना दिनांक को लोक मार्ग पर ट्रेक्टर एमपी 08 जेडबी 8892 के चालक अनावेदक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक सुनील

की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे मृतक सुनील की मृत्यु कारित हुई। तद्नुसार **वाद प्रश्न क्रमांक 01 व 02** का निष्कर्ष **''साबित''** के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 3 :

16. मृत्यु के मामले में प्रतिकर की राशि की गणना के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम दुर्घटना के समय मृतक सुनील की **आयु** पर विचार करे, तो इस संबंध में आवेदकगण ने दावे में मृतक की आयु 19 वर्ष लिखी गई है तथा आवेदक साक्ष्य में मृतक की आयु 19 वर्ष ही होना बताया है। आवेदकगण की ओर से अभिलेख पर मृतक की आयु के संबंध में आधार कार्ड की प्रति पेश है, जिसमें उसकी जन्म दिनांक 01.01.2006 लिखी है और घटना दिनांक 14.12.2024 की है, लेकिन आधार कार्ड पर लिखी जन्म दिनांक आयु के निर्धारण के लिए निश्चायक् सबूत नहीं है। दुर्घटना दावा में जहां मृतक की आयु को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, वहां शव परीक्षण प्रतिवेदन में लिखी आयु, आयु के निर्धारण के लिए सुसंगत होती है। इस मामले में आवेदकगण की ओर से प्रमाणित शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 में मृतक सुनील की आयु 21 वर्ष लिखी है, तब इस आयु को ही उसकी वास्तविक आयु के रूप में स्वीकार किया जाना उचित है। अतः मृतक सुनील की दुर्घटना के समय **आयु 21** वर्ष निर्धारित की जाती है।

17. अब यदि दुर्घटना के समय मृतक की **आय** पर विचार करें तो इस संबंध में अभिवचनों के समर्थन में आवेदक बब्लू आ.सा. 01 का अभिसाक्ष्य है कि उसका बेटा मिस्त्री होकर भवन निर्माण का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/– रूपये आय अर्जित करता था, लेकिन उसने निश्चित आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत या प्रमाणित नहीं किया है, तब मौखिक कथन मात्र के आधार पर मृतक की आय 15,000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन मृतक 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति था, तब निश्चित ही कोई न कोई आय अर्जित कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता होगा।

18. ऐसे मामले में जहां मृतक की निश्चित आय साबित नहीं है और काल्पनिक आय स्वीकार की जानी है, वहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्याय दृष्टांत मनुसा श्रीकुमार व अन्य विरूद्ध दि यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी**

लिमिटेड 2022 लाईव लॉ (एस.सी.) 858 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में, न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के साथ–साथ कुछ हद तक अनुमान जो वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं है, मृतक की आय निर्धारित करने के लिये एक मानदंड के रूप में कार्य करेगा।

19. उक्त सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये इस मामले में मृतक की **काल्पनिक आय एक अकुशल मजदूर** के रूप में भी निर्धारित करें, तो घटना **दिसम्बर 2024** की है और इस समय मध्यप्रदेश राज्य में श्रम आयुक्त इंदौर की अधिसूचना के अनुसार अकुशल मजदूर का मासिक वेतन 11,850/– रूपये निर्धारित किया गया था। तब इसी आधार पर मृतक की काल्पनिक **मासिक आय 11,850/– (ग्यारह हजार आठ सौ पचास) रूपये** निर्धारित की जाती है।

20. अब मृतक सुनील पर **आश्रितों की संख्या** पर विचार करें, तो आवेदकगण के दावा में किये गये अभिवचन और आवेदक बब्लू बारेला आ.सा. 01 के द्वारा किए गए कथन के अनुसार आवेदिका क्रमांक 1 सुनीता मृतक सुनील की पत्नी, आवेदक क्रमांक 2 कनिष्का मृतक की अवयस्क पुत्री, आवेदक क्रमांक 3 मृतक की मां तथा वह स्वयं आवेदक क्रमांक 04 मृतक का पिता है। इस तथ्य के खंडन में अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है।

21. इस प्रकार आवेदक क्रमांक 1 मृतक की पत्नी, व आवेदक क्रमांक 2 अवयस्क पुत्री होने से प्रत्यक्षतः मृतक पर पूर्ण रूप से आश्रित थे। आवेदक क्रमांक 3 मृतक सुनील की मां है जो उस पर आश्रित होना मानी जाएगी। आवेदक क्रमांक 4 पिता है और विनिर्दिष्ट साक्ष्य के अभाव में उसे मृतक पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रितता की गणना में आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मृतक पर आश्रितों की संख्या 03 निर्धारित की जाती है। आश्रितों की संख्या 03 होने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य (2009) 6 एस.सी.सी. 121** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में आय का **1/3** उसके व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च के रूप में काटा जाएगा।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेट्टी व अन्य (2017)16 एस.सी.सी. 680** के आलोक में भविष्य की आय में वृद्धि की संभावना के तथ्य को विचार में लेना चाहिये, तब इस मामलें में मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम होने से भविष्य की आय में वृद्धि की संभावना के मद में भी **40 प्रतिशत** राशि की वृद्धि स्वीकार की जाएगी।

23. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पाया जाता है कि घटना के समय मृतक **11,850/–** रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था, जिसमें **40** प्रतिशत की वृद्धि राशि **4,740**/–रूपए जोड़ने के उपरांत कुल आय **16,590**/–(सौलह हजार पांच सौ नब्बे) रूपये प्रतिमाह होती है, जिसमें से **1/3** राशि, जो कि **5,530/–रूपए** होती है, जो वह स्वयं पर खर्च करता होगा, को घटाने पर मृतक की मृत्यु के कारण आवेदकगण को हुई आय की मासिक हानि **11,060**/–(ग्यारह हजार साठ) रूपए प्रतिमाह होती है।

24. घटना के समय मृतक की **आयु 21 वर्ष** होने के कारण उपरोक्त **सरला वर्मा** वाले न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में मृतक आयु **21 से 25 वर्ष** के मध्य होने से उसकी वार्षिक आय में **18** का गुणांक प्रयोज्य किया जाएगा।

25. उपरोक्त **प्रणय शेट्टी वाले न्याय दृष्टांत में** प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में प्रति 03 वर्ष में दाह–संस्कार, सम्पदा की हानि एवं सहचर्य हानि के मद में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकार की जाएगी। इस न्याय दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.10.2017 को निर्णय पारित किया था और इस प्रकरण के लंबित रहने के दौरान 06 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने से 20 प्रतिशत वृद्धि का सिद्धांत लागू होगा, तब आवेदकगण को **दाह संस्कार** के मद में राशि **18,000/–** रूपये, **संपदा की हानि** के मद में राशि **18,000/–** रूपये स्वीकार की जाएगी।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी **प्रणय सेठी** वाले न्याय दृष्टांत में सहचर्य हानि के मद में भी 40,000/–रूपये निर्धारित करने के दिशा–निर्देश दिए थे और 03 वर्ष की अवधि उपरांत 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी और 06 वर्ष की अवधि उपरांत 20 प्रतिशत वृद्धि लागू की जाएगी। अतः इस मद में

भी **48,000/—** रूपये की राशि निर्धारित की जाना अपेक्षित है।

27. जहां तक सहचर्य हानि के मद में राशि केवल पत्नी को ही दिलाई जानी चाहिए या माता–पिता एवं संतान को भी दिलाई जानी चाहिए, का प्रश्न है, तो न्याय दृष्टांत **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम (2018) 18 एस.सी.सी. 130, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध सतिन्दर कौर व अन्य, 2020 ए.सी.जे. 2131 (एस.सी.)** में इस आशय का अभिमत व्यक्त किया गया है कि सहचर्य हानि के मद में राशि प्रत्येक आवेदक/आश्रित के संबंध में निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां पत्नी को पति के सहचर्य की हानि होती है, वही पुत्री को अपने पिता के स्नेह, प्रेम व सुख व माता–पिता को संतान के सुख, प्रेम व स्नेह एवं वृद्धावस्था में देख रेख जैसी सुख व सुविधाओं की हानि होती है।

28. इस मामले में आवेदक क्रमांक 1 मृतक की पत्नी है, तब उसे पति की मृत्यु पर सहचर्य की हानि हुई है, आवेदक क्रमांक 2 भी मृतक की पुत्री हैं, उसे पिता के स्नेह से वंचित होना पड़ा है और आवेदक क्रमांक 3 एवं 4 मृतक के माता पिता हैं, भले ही मृतक का पिता आय की दृष्टि से मृतक पर आश्रित नहीं था, लेकिन पुत्र की असमय मृत्यु से उसे भी पुत्र के स्नेह से वंचित होना पड़ा है और तब उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में वे सभी उक्त मद में राशि पाने के पात्र हैं। अतः सभी आवेदकगण को इस मद में राशि 48,000X4=**1,92,000**/—रूपये दिलाया जाना उचित है।

29. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस मामले में प्रतिकर राशि की गणना निम्नानुसार की जाती है —

क्रमांक	**शीर्षक**	**गणना**
01	आय	11850/— रूपये प्रतिमाह
02	भविष्य की संभावना में वृद्धि **(40 प्रतिशत)**	4,740/— रूपए प्रतिमाह
03	कुल आय	16,590/— रूपए प्रतिमाह

04	व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च की कटौती **(1/3)** उपरांत आय	16,590—5530 =11060/—रूपये
05	**18** का गुणांक प्रयुक्त करने पर प्रतिकर	11060X 18 X 12 =**23,88,960**/— रूपये
06	सहचर्य हानि के मद में राशि	48,000 X4 = **1,92,000**/—रूपये
07	दाह संस्कार खर्च	**18,000**/— रूपये
08	संपदा की हानि के मद में	**18,000**/— रूपये
कुल प्रतिकर— राशि 26,16,960/—(छब्बीस लाख सोलह हजार नो सौ साठ) रूपए		

30. इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति **राशि 26,16,960/—(छब्बीस लाख सोलह हजार नो सौ साठ) रूपए निर्धारित की जाती है।**

31. मिलने वाली प्रतिकर राशि पर दिलाये जाने वाले ब्याज की दर पर विचार किया गया। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **तमिलनाडू राज्य स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरूद्व एस. राजपरिया व अन्य (2005) 6 एस.सी.सी. 236** अवलोकनीय है, जिसमें सावधि जमा पर प्रचलित ब्याज दर को विचार में लेकर ब्याज दिलाए जाने का अभिमत दिया गया है। वर्तमान में सावधि जमा पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर प्रचलन में है। अतः इस मामले में प्रतिकर राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित है।

32. अनावेदक स्वयं वाहन चालक व स्वामी है, इसलिए वह **राशि 26,16,960/— (छब्बीस लाख सोलह हजार नो सौ साठ) रूपए** आवेदकगण को अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। तद्नुसार **वाद प्रश्न कमांक 03** विनिश्चित किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 4 :

—: सहायता एवं व्यय :—

33. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण साक्ष्य से अपना दावा अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः दावा अंशतः स्वीकार कर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :—

(i) अनावेदक द्वारा **राशि 26,16,960/–(छब्बीस लाख सोलह हजार नो सौ साठ) रूपए** आवेदकगण को अदा की जाएगी।

(ii) राशि जमा होने पर **आवेदक कमांक 4 बबलू (मृतक का पिता) को देय राशि 48,000/– (अठतालीस हजार) रूपए मय ब्याज के नगद प्रदान किए जाएं तथा** शेष संपूर्ण प्रतिकर राशि **25,68,960/– (पच्चीस लाख अठषठ हजार नो सौ साठ) निम्न तालिका अनुसार** आवेदकगण कमांक 1 लगायत 3 के मध्य विभाजित कर, राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थित बचत खाते के माध्यम से उन्हें अदा की जाए अथवा निर्देशानुसार सावधि जमा की जाए–

क.	**आवेदक का नाम**	**देय राशि रूपये**	**कुल देय राशि में से नगद देय राशि**	**कुल देय राशि में से सावधि जमा राशि (अवधि)**
01	आवेदक कमांक 01 सुनीता (मृतक की पत्नी)	देय राशि का **50** प्रतिशत राशि 12,84,480/– (बारह लाख चौरासी हजार चार सौ अस्सी) रूपए	50 (पचास) प्रतिशत	50 (पचास) प्रतिशत 03 वर्ष हेतु।
02	आवेदक कमांक 02 कनिष्का (मृतक की अवयस्क पुत्री)	देय राशि का **25** प्रतिशत राशि 6,42,240/–(छः लाख ब्यालीस हजार दो सौ) रूपए	–	वयस्कता प्राप्ति तक
03	आवेदक कमांक 3 फुंदाबाई (मृतक की मां)	देय राशि का **25** प्रतिशत राशि 6,42,240/–(छः लाख ब्यालीस हजार दो सौ) रूपए	50 (पचास) प्रतिशत	50 (पचास) प्रतिशत 03 वर्ष हेतु।

(iii) अनावेदक द्वारा प्रतिकर की राशि सदस्य, पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गुना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा ए–बी रोड गुना **IFS Code UBIN0541061** स्थित खाता कमांक **410602010119216** में जमा कराई जाकर आवेदक एवं अधिकरण को सूचित किया जाए, यदि सम्यक् सूचना नहीं दी जाती है तो ब्याज अदायगी का उत्तरदायित्व अनावेदक का रहेगा।

(iv) अनावेदक अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा एवं आवेदकगण का वाद व्यय भी वहन करेगा।

(v) अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर 1000/–(एक हजार) रूपये जोड़ा जाए।

तद्नुसार व्यय तालिका तैयार की जाए।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही–

ओ.पी. रघुवंशी
सदस्य,
पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
गुना (म.प्र.)

OMPRAKASH RAGHUWANSHI

Digitally signed by OMPRAKASH RAGHUWANSHI
Date: 2026.01.21 17:11:33 +0530